

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

पंतनगर, जिला- ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

टिङ्गी दल के आक्रमण से सतर्क रहने को कहा पंतनगर के वैज्ञानिकों ने

पंतनगर। 01 जुलाई 2020। देश के पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में टिङ्गी दलों के प्रकोप तथा इन राज्यों की सीमा से सटे राज्य, उत्तर प्रदेश, में भी टिङ्गी दल का लाखों की संख्या में प्रतेश को देखते हुए पंतनगर के वैज्ञानिकों ने उत्तराखण्ड के जनपदों (मैदानी व पहाड़ी) में गन्ना, मक्का व सब्जियों की फसलों पर इन दलों का प्रकोप की संभावना व्यक्त की है। पौड़ी जनपद के कुछ किसानों से टिङ्गी दल के प्रकोप की सूचना मिली है, जिनकी संख्या बहुत कम है। सम्भवतः तेज गति की आंधी के कारण ये पौड़ी जिले के पहाड़ी क्षेत्र में प्रतेश कर गये हैं। अतः वैज्ञानिकों ने समस्त जिलों के किसानों तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों को इनके आक्रमण से सतर्क रहने को कहा है।

पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा टिङ्गी दल की उत्तराखण्ड में निगरानी हेतु गठित समिति के अध्यक्ष, डा. एस.एन. तिवारी, ने बताया कि टिङ्गी दल लाखों की संख्या में पाकिस्तान से भारत में दारिद्र छुए और ये दल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा चुके हैं। शनिवार को टिङ्गी दल दिल्ली-हरियाणा की सीमा पर सक्रिय था परन्तु दिल्ली में पूरी तरह से प्रतेश नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश के हाथरस, बदायूँ, अलीगढ़, अमेरी, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, महाराजगंज व वित्तकूट क्षेत्र टिङ्गी दल के आक्रमण से प्रभावित हैं।

डा. तिवारी के अनुसार टिङ्गियां एक समय में अत्यधिक मात्रा में वनस्पतियों का भक्षण करती हैं तथा मार्ग में आने वाली लगभग समस्त वनस्पतियों का भक्षण करती हैं। इनके आक्रमण से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उन्होंने बताया कि इससे बचाव हेतु टिङ्गी दलों के दिखाई देने पर उनको फसलों पर उतरने से रोकने के लिए किसानों को अत्यधिक शोर करने (ड्रम व टिन बजाकर) तथा येत में धुआँ करने की सलाह दी। साथ ही किसानों द्वारा इन टिङ्गी दलों के फसलों पर नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरीफॉस 20 ई.सी. का 2.4 मि.ली. प्रति ली. या क्लोरपाइरीफॉस 50 ई.सी. का 1.0 मि.ली. प्रति ली. या डेल्टामेथिन 2.8 ई.सी. का 1.0 मि.ली. प्रति ली. या फिप्रोनिल 5 एस.सी. का 0.25 मि.ली. प्रति ली. या फिप्रोनिल 2.92 एस.सी. का 0.45 मि.ली. प्रति ली. या लैम्ब्डा साइहैलोथ्रिन 5 ई.सी.का 1.0 मि.ली. प्रति ली. या लैम्ब्डा साइहैलोथ्रिन 10 डब्ल्यू.पी. का 0.5 ग्राम प्रति ली. या मैलाथियान 50 ई.सी. का 3.7 मि.ली. प्रति ली. या मैलाथियान 25 डब्ल्यू.पी. का 7.4 ग्राम प्रति ली. की दर से प्रतिबन्धात्मक अथवा यात्रि से सुबह तक टिङ्गी दलों के प्रवासों पर गठन छिकाव की संस्तुति की गयी है, ताकि टिङ्गी दल को उसके प्रवास स्थल पर ही समाप्त किया जा सके।

डा. तिवारी ने बताया कि किसानों को अगर उनके क्षेत्र में कहीं पर टिङ्गी दल का प्रकोप दिखता है तो उन्हें कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड के फोन नं. 18001800011 पर अथवा उस जिले के मुख्य कृषि अधिकारी को तत्काल सूचित करना चाहिए।